रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 147] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 25, 1976/ चैत्र 5, 1898
No. 147] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 25, 1976/CHAITRA 5, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March 1976

S.O. 229(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution read with rule 45 of the Fundamental Rules, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963, namely:—

1. These rules may be called the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Second Amendment Rules, 1976.

2 In the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963, in Supplementary Rule 317-B-3—

(1) for the second proviso to sub-rule (5), the following proviso shall be substituted, and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of January, 1976, namely:—

"Provided further that—

(a) where the officer concerned has made any such offer before the 1st January, 1976 in pursuance of any instructions issued by that Government on or after the 9th September, 1975 and such offer is refused (whether before or after the 1st January, 1976), he shall be liable to pay damages as provided in sub-rule (4) with effect from the 1st January, 1976; and

(b) where the officer concerned has made the offer aforesaid on or after the 1st January, 1976 and has been paying damages as provided in sub-rule (4) as from that date, he shall continue to pay such damages until his offer is accepted or, if his offer is refused, so long as he occupies the Government residence.";

(2) in sub-rule (7), the following shall be inserted at the end, namely:—

"subject to the modification that the references in sub-rule (5) to the 1st January, 1976, shall be construed as references to the date of expiry of the period of six weeks specified in clause (b) of sub-rule (6).".

Explanatory Memorandum

The amendment to the second proviso to sub-rule (5) of new S.R. 317-B-3, is of a clarifying nature and seeks to make the proviso conform to the orders issued earlier with effect from 1st January, 1976, by the Central Government in O.M. No. 12031(1)/74-Pol.II, dated the 9th September, 1975, read with Office Memorandum of even number dated the 15th November, 1975 and the 9th December, 1975, in regard to allotment of Government residences to its employees owning residential accommodation at their places of posting. Retrospective effect to the amendment as from 1st January, 1976, when S.R. 317-B-3, aforesaid came into force, has, therefore, become necessary to make the rule consistent with the earlier orders.

[No. F.12033(6)/75-Pol.II]

S. CHAUDHURI, Jt. Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1976

का० आ० 229 (अ).—राष्ट्रपति, मूल नियमों के नियम 45 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के सम्बन्ध मे नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, सरकारी निवास-स्थान आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियम, 1963 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी निवास-स्थान आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) द्वितीय संशोधन नियम, 1976 है।

2. सरकारी निवास-स्थान आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियम, 1963 में, अनुपूरक नियम 317-ख-3 में,—

(1) उपनियम (5) के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, और 1 जनवरी, 1976 से प्रतिस्थापित समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि—

(क) जहां सम्बधित अधिकारी ने सरकार द्वारा 9 सितम्बर, 1975 को या उसके पश्चात् जारी किए गए किन्हीं अनुदेशों के अनुसरण में कोई ऐसी प्रस्थापना की है और ऐसी प्रस्थापना को (1 जनवरी, 1976 से पूर्व या उसके पश्चात्) अस्वीकार कर दिया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी 1 जनवरी, 1976 से उप-नियम (4) में यथा उपबन्धित नुकसानी देने का दायी होगा ; और

(ख) जहां सम्बन्धित अधिकारी के उपरोक्त प्रस्थापना 1 जनवरी, 1976 को या उसके पश्चात् की है और वह उपनियम (4) में यथा उपबन्धित नुकसानी उस तारीख से दे रहा है, वह ऐसी नुकसानी तब तक देता रहेगा जब तक कि उसकी प्रस्थापना स्वीकार नही कर ली जाती या, यदि उसकी प्रस्थापना अस्वीकार कर दी जाती है तो तब तक जब तक कि वह सरकारी निवास स्थान का अधिभोग करता है।";

(2) उपनियम (7) मे, अन्त में निम्नलिखित जोडा जाएगा, अर्थात् :—

"किन्तु यह इस उपान्तरण के अधीन रहते हुए कि उपनियम (5) में 1 जनवरी, 1976 के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे उपनियम (6) के खण्ड (ख) मे विनिर्दिष्ट छह सप्ताह की अवधि के पर्यवसान की तारीख के प्रति निर्देश हैं।"

स्पष्टीकरण ज्ञापन

अनुपूरक नियम 317–ख-3 के उपनियम (5) के द्वितीय परन्तुक का संशोधन स्पष्टीकरण के रूप में है और उसका आशय परन्तुक को केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं० 12031 (1)/74-पालिसी II, तारीख 15 नवम्बर, 1975 और तारीख 9 दिसम्बर, 1975 के साथ पठित उसी संख्या के कार्यालय ज्ञापन, तारीख, 9 सितम्बर 1975 द्वारा अपने उन कर्मचारियो को सरकारी निवास स्थान के आबंटन की बाबत जिनके उन स्थानों पर, जहां वे पदस्थ हैं, अपने निवास स्थान हों, आबंटन की बाबत जारी किए आदेशो के अनुकूल बनाने और उन्हे 1 जनवरी , 1976 से प्रभावी करने का है। अतः संशोधन को 1 जनवरी , 1976 से, जब अनुपूरक नियम 317–ख–3 प्रवृत्त हुआ, भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना पूर्वतर आदेशों के साथ नियमों की संगति की दृष्टि से आवश्यक हो गया है।

[स० फा० 12033(6)/75–नीति–II]

सुकुमार चौधुरी, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976